न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी श्री चिम्मनलाल मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

उनवान कजोडमल वगै0 बनाम रजनी देवी वगै0

वाद संख्या–164/2016

दिनांक निर्णय–30.01.2018

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक वाद बाबत दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा वादी कजोडमल पुत्र रामजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बासडा ब्राहम्णन तहसील बसवा द्वारा एक वाद पत्र न्यायालय हाजा में दिनांक 07.10.2016 को वादी पक्ष द्वारा पेश कियां। वाद पत्र के अनुसार रामा बासडा ब्राहम्णान तह0 बसवा में भूमि काश्त खाता संख्या नया 63 पुराना 21 के ख0 नं0 87 रकबा 1.01 है0 जाव एक चाही एक, ख0 नं0 88 रकबा 0.45 है0 बारानी 2, ख0 नं0 90 रकबा 0.50 है0 बारानी 2, ख0 नं0 93 रकबा 0.08 है0 बारानी 2, ख0 नं0 94 रकबा 0.31 है0 जाव ए0 बारानी 2, कुल किता 5 कुल रकबा 2.35 है0 लगानी 37 रूपये 27 पैसे स्थित है जिसके राजस्व अभिलेख में वादीगण संख्या 2 हरिमोहन का 157/5593 हिस्सा व वादी संख्या एक व तीन का सम्मिलित हिस्सा 314/5593 व प्रतियादी संख्या एक का हिस्सा 75/4706, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 75/470 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या तीन व चार की माता सिंगारी देवी का 1/51 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 5 लाठ 9 का सम्मिलित 1/81 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 10 का सम्मिलित हिस्सा 64/119 है।

प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 की माता सिंगारी देवी व प्रतिवादीगण संख्या 11 व 12 तेजपाल व मुकेश की माता शान्ति देवी फौत हो चुकी है किन्तु अभी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में सिंगारी देवी व शान्ति देवी का इन्द्राज हो रहा है। प्रतिवादीगण संख्या तीन व चार व पार्वती देवी व रूकमणी देवी, सिंगारी देवी की पुत्रीयां है और वैद्य प्रतिनिधि है व प्रतिवादीगण संख्या 11 व 12 तेजपाल व मुकेश शान्ति देवी के पुत्र है जो वैद्य प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी है जिन्हें मृतक की जगह पक्षकार बनाया है।

30/1/18

उप जिला कलेक्टर
बांदीकुई (दौसा)

पक्षकारों ने मन समाई से व स्वेच्छा से भूमि का बंटवारा कर अपने अपने हिस्से अनुसार खाम डोल बना रखी है। जो धीर धीरे बिस्मार हो रही है। प्रतिवादीगण संख्या एक व दो अपने धन बल के आधार पर वादी की भूमि को हडपने पर आमादा हो रहे है तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते है तथा उपजाऊ भूमि को अपने कब्जे में लेने का पूरा प्रयास करते रहते है। जिससे वादीगण का काफी नुकसान हो रहा है और भूमि को अब शामिल में रखना संम्भव नही रहा है।

प्रतिवादीगण अपने उद्देश्य में सफल हो गये और प्रतिवादी संख्या एक व दो ने भूमि मुतदाविया का बिनां विधिवत बंटवारा हुए पुख्ता निर्माण कर अपने हिस्से से ज्यादा हिस्से पर कब्जा करने पर आमादा होन से भूमि की किश्म पविर्तन होगी तथा वादीगण अपने हक व हिस्से से वंचित हो जावेगें तथा पक्षकारों मे कई तरह के विवाद पैदा हो जावेंगें इसलिये प्रतिवादीगण संख्या एक व दो अजनबी क्रेता है जो विधिवत तकास्मा हुए कानुनन पाबंद है। प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त फसल बोने काटने में बाधा उत्पन्न न करने के लिये तथा बिना बंटवारा कराये भूमि को रहन, बय न करने व उसमें पुख्ता निर्माण न करने के लिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना आवश्यक है इसलिये दावा स्थायी निषेधाज्ञा पेश है।

भूमि काश्त खाता संख्या नया 63 पुराना 21 के ख0 नं0 87 रकबा 1.01 है0 जाव एक चाही एक, ख0 नं0 88 रकबा 0.45 है0 बारानी 2, ख0 नं0 90 रकबा 0.50 है0 बारानी 2, ख0 नं0 93 रकबा 0.08 है0 बारानी 2, ख0 नं0 94 रकबा 0.31 है0 जाव ए0 बारानी 2, कुल किता 5 कुल रकबा 2.35 है0 लगानी 37 रूपये 27 पैसे स्थित रामा बासडा ब्राहम्णान तह0 बसवा का वादीगण व प्रतिवादीगण के रास्ते व आवागमन का ध्यान रखते हुए सरस नरस विधिवत बंटवारा किया जाकर वादीगण के हिस्सा 157/5593, 314/5593 कुल 471/5593 पर आयी हुयी भूमि पर वास्तविक कब्जा कराया जाने व लगान का बंटवारा किया जाकर रास्व अभिलेख में वादीगण के नाम का पृथक पर्चा बनाया जावें।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं या अपने एजेन्टो नौकरो घरवालों या अन्य मददगारान जब तक विधिवत तकास्मा होकर अलग अलग खाते कायम न हो जावे तब तक किसी दीगर

उप जिला कलेक्टर
बीकोपुरं (दौसा)

सख्स को रहन बय करने से, खाम या पुख्ता निर्माण आदि न करे, न भूमि का किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करें मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली न्यायालय में पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित हुए। वकील वादी का कथन है की हमारी संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका बंटवारा कराना चाहता हूँ। अतः वकील वादीगण को सुनने के बाद दावा प्राथमिक रूप से डिकी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः दावा वादी प्राथमिक रूप डिकी किया जाकर तहसीलदार बसवा को आदेश दिये जाते है कि वादी की विवादित भूमि आ0 ख0 नं0 87, 88, 90, 93, 94 कुल किता 5 कुल रकबा 2.35 है0 वाके रामा बासडा ब्राहम्णान का पक्षकारान के मध्य हिस्से अनुसार उनकी उपस्थिति में सरस नरस व रास्ते आदि का ध्यान रखते हुए कुर्रेजात तैयार कर भिजवाये। आदेश देने के पश्चात तहसीलदार बसवा द्वारा दिनांक 20.04.2017 को कुर्रेजात भिजवाये गये परन्तु प्राप्त कुरेजात पर एतराज करने पर पुनः तहसीलदार बसवा को संशोधित कुर्रेजात भिजवाये जाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार बसवा ने दिनांक 16.01.2018 को पुनः कुर्रेजात तैयार कर भिजवाये गये। जो निम्न प्रकार है–

नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
कजोड पि0 रामजीलाल जाति ब्राहम्ण सा0 देह	87/5	0.0300
	88/3	0.0350
	किता 2	0.0650 है0
रामोतार पि0 रामजीलाल जाति ब्राहम्ण सा0 देह	87/6	0.0300
	88/4	0.0350
	किता 2	0.0650 है0
हरिमोहन पि0 रामजीलाल जाति ब्राहम्ण सा0 देह	87/7	0.0300
	88/5	0.0350
	किता 2	0.0650 है0
रजनी देवी पत्नि हरिमोहन जाति माली नि0 जोधा की ढाणी	87/2	0.1250
	90/2	0.2500
	किता 2	0.3750 है0

उप जिला कलेक्टर
बांदीकुई (दौसा)

मनोहरी देवी पत्नि मोहनलाल जाति माली नि0 आनंदपुरा	87/3 88/1 90/3	0.1750 0.0400 0.1600
	किता 3	0.3750 है0
सिंगारी देवी पत्नि स्व0 रामधन जाति ब्राहम्ण	87/8 90/4	0.0110 0.0340
	किता 2	0.0450 है0
रूकमणी बेवा रूगनाथ भैरूसहाय कैलाश मदनलाल नवल पि0 रूगनाथ हि0 450/13600 ममता देवी पत्नि कैलाश हि0 450/13600 जाति ब्राहम्ण केशर शान्ति कजोडी गीता पुत्री रामजीलाल हि0 127/136 हि0 ब0 जाति ब्राहम्ण	87/1 87/4 88/2 90/1 93 94	0.09 0.52 0.30 0.06 0.08 0.31
	किता 6	1.36 है0

प्राप्त संशोधित कुरेजात पर वादी व प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति नही की। संशोधित कुरेजात पर बहस सुनने के पश्चात मनन किया जा कर गुणावगुण के आधार पर संशोधित कुरेजात दिनांक 16.01.18 के अनुसार दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाने के आदेश दिये जाते है। पक्षकारान अपने अपने हिस्से मे आये ख0 नं0 पर किसी प्रकार का कोई दखल एक दुसरे को नही देगा। अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जा कर आज दिनांक 30.01.2018 को खुले इजलास में सुनाया गया।

30/01/2018

(चिम्मनलाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)